न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर
पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS
राजस्व अपील सं0 07/2024 (GCMS 2024/25)

अपीलांट	बनाम	रेस्पोडेण्ट
1. जगदीश सिंह पुत्र तनेरावसिंह जाति राजपूत निवासी ग्राम हमीरा तहसील व जिला जैसलमेर		1. राज. सरकार जरिये तहसीलदार, जैसलमेर जिला जैसलमेर।

अधिवक्ता :

1. श्री मुकुन्द सिंह भाटी अधिवक्ता अपीलांट
2. ना0 तहसीलदार (पैरोकार राज) रेस्पोडेण्ट

दिनांकः— 11.03.2026

—::निर्णय::—

अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 बविरूद्ध तहसीलदार जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2024

अपील के संबंध में संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि अपीलांट के सगे चाचा लूणसिंह पुत्र बसतसिंह निवासी ग्राम हमीरा की अपनी हिस्सेदारी की खातेदारी कृषि भूमि गांव हमीरा के खसरा संख्या 42 एवं 73 में कुल रकवा 6.2929 हैक्टैयर में से हिस्सा 1/3 भाग भूमि लूणसिंह पुत्र बसतसिंह के हिस्से आती है। लूणसिह द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 16.05.2023 को वसीयतनामा अपने भतीजे अपीलांट जगदीशसिंह के नाम किया गया। अपीलांट के चाचा लूणसिंह पुत्र वसतसिंह का स्वर्गवास दिनांक 19.05.2023 को हो चुका है। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा तहसीलदार, जैसलमेर के समक्ष दिनांक 17.07.2023 को वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने का प्रार्थना—पत्र पेश किया जो तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा दिनांक 23.01.2024 को खारिज किया गया। अपीलांट का कथन है कि अपीलांट द्वारा वसीयतनामा के आधार पर दिनांक 17.07.2023 को नामान्तकरण तस्दीक हेतु प्रार्थना—पत्र पेश किया गया तथा उस प्रार्थना—पत्र के संलग्न अपीलांट द्वारा वसीयतनामा, जमावंदी, मृत्यू प्रमाण—पत्र आधार कार्ड आदि संलग्न प्रस्तुत किये गये। रेस्पोडेण्ट द्वारा दिनांक 25.07.2023 को अपीलांट के द्वारा पेश वसीयत के गवाहान महेन्द्रसिंह पुत्र मोहनसिंह निवासी हमीरा व नेपालसिंह पुत्र पदमसिंह को शपथ—पत्र मय गवाही हेतु व्यक्तिशः उपस्थित होने के संबंध में नोटिस जारी किया गया। वसीयत के उक्त गवाहान द्वारा अपने शपथ—पत्र में स्पष्ट कथन किया गया है कि वसीयतनामा में उनके हस्ताक्षर साक्षी के रूप में किये गये है, जो हस्ताक्षर उनके स्वयं के है और वसीयतनामा में प्रथम—पक्षकार व द्वितीय पक्षकार ने उनके सामने वसीयतनामा संपादित किया जो पूर्णरूप से सही है, वसीयतकर्ता लूणसिंह की मृत्यू दिनांक 19.05.2023 को हो चुकी है। रेस्पोडेण्ट द्वारा मूल वसीयतनामा की भी जॉच की गई।

अपीलांट द्वारा अपील में कथन किया गया है कि रेस्पोडेण्ट तहसीलदार जैसलमेर द्वारा अपनी आदेशिका दिनांक 23.01.2024 के द्वारा अपीलांट/प्रार्थी का आवेदन इस आधार पर खारिज किया कि " पटवारी हल्का हमीरा की रिपोर्ट अनुसार उक्त भूमि स्वअर्जित नहीं होने से प्रार्थी द्वारा पेश नामान्तकरण आवेदन खारिज किया जाता है।" रेस्पोडेण्ट द्वारा पारित उक्त आदेश मनमाना, त्रुटिपूर्ण एवं रिकॉर्ड के विपरित होने से अपास्त किये जाने के काबिल है। उक्त भूमि मृतक लूणसिंह की स्वयं की मालिकाना हक की भूमि थी, जिसे हर प्रकार से अंतरित करने का उनको अधिकार हासिल था। अपीलांट जगदीशसिंह जो कि लूणसिंह का भतीजा है तथा लूणसिंह के अविवाहित होने के कारण जगदीशसिंह द्वारा उनकी सेवा चाकरी, बीमारी का इलाज आदि कराने के कारण लूणसिंह ने स्वयं प्रसन्न होकर उक्त भूमि अपीलांट जगदीशसिंह के नाम वसीयत की है। तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा गवाहान के बयान को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को बिना

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर,जैसलमेर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रताप सिंह IAS

राजस्व अपील सं0 07/2024 (GCMS 2024/25)

सुनवाई का अवसर दिये नामान्तकरण तस्दीक नहीं किया गया। अपीलांट के द्वारा अपील के संलग्न स्व. लूणसिंह के भाई एवं सह खातेदार कुम्पसिंह पुत्र बसतसिंह एवं तनेरावसिंह पुत्र बसतसिंह द्वारा रूपये 50 के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प संख्या 637573 पर शपथ–पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उनके द्वारा बयान किया है कि लूण सिंह पुत्र वस्त सिंह जाति राजूपत निवासी हमीरा ला–औलाद एवं अविवाहित दिनांक 19.05.2023 को फौत हो गये है। लूण सिंह के नाम ग्राम हमीरा के खसरा संख्या 42 एवं 73 कुल रकबा 6.2393 हैक्टेयर भूमि में 1/3 हिस्सा भूमि आई हुई है। लूणसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में वसीयत जगदीश सिंह पुत्र तनेराव सिंह के नाम से की गई है। जिनकी उनको जानकारी है। वसीयत के आधार पर ग्राम हमीरा के खसरा संख्या 42 एवं 73 में हिस्सा 1/3 में जगदीश सिंह के नाम से नामान्तकरण भरा जाता है तो उन्हें कोई उजरदारी नहीं है और न ही भविष्य में कोई उजरदारी होगी। अपीलांट के द्वारा तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा पारित आदेश दिनांक 23.01.2024 को निरस्त कर वसीयतनामा के अनुसार नामान्तकरण तस्दीक किये जाने के संबंध में आदेश प्रदान करने के संबंध में निवेदन किया गया है।

अपीलांट द्वारा अपील के संलग्न धारा 5 म्याद अधिनियम का प्रार्थना पत्र संलग्न कर निवेदन किया गया है कि अपीलांट को उक्त पारित निर्णय की जानकारी होने तथा इसकी नकल प्राप्ति के 30 दिन के भीतर अपील प्रस्तुत की गई है। अपीलांट द्वारा अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षम्य करते हुए अपील अन्दर म्याद स्वीकार करने का निवेदन किया गया है।

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा अपनी बहस में अपील में वर्णित आधारों एवं तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अपीलांट के सगे चाचा लूणसिंह पुत्र बसतसिंह निवासी ग्राम हमीरा की अपनी हिस्सेदारी की खातेदारी कृषि भूमि गांव हमीरा के खसरा संख्या 42 एवं 73 में कुल रकबा 6.2929 हैक्टैयर में से हिस्सा 1/3 भाग भूमि लूणसिंह पुत्र बसतसिंह के हिस्से आती है। लूणसिंह द्वारा अपने जीवनकाल में दिनांक 16.05.2023 को वसीयतनामा अपने भतीजे अपीलांट जगदीशसिंह के नाम किया गया। अपीलांट के चाचा लूणसिंह पुत्र बसतसिंह का स्वर्गवास दिनांक 19.05.2023 को हो चुका है। तत्पश्चात् अपीलांट द्वारा तहसीलदार, जैसलमेर के समक्ष दिनांक 17.07.2023 को वसीयत के अनुसार नामान्तकरण दर्ज करने का प्रार्थना–पत्र पेश किया जो तहसीलदार, जैसलमेर के द्वारा दिनांक 23.01.2024 को खारिज किया गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा पारित उक्त आदेश मनमाना, त्रुटिपूर्ण एवं रिकॉर्ड के विपरित होने से अपास्त किये जाने के काबिल है। उक्त भूमि मृतक लूणसिंह की स्वयं की मालिकाना हक की थी जिसे हर प्रकार से अंतरित करने का उनको अधिकार हासिल था। तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा गवाहान के बयान को नजरअंदाज करते हुए अपीलांट को बिना सुनवाई का अवसर दिये आलोच्य आदेश पारित किया गया है। अपीलांट के द्वारा तहसीलदार, जैसलमेर द्वारा पारित उक्त आदेश को अपास्त किये जाने का निवेदन किया गया है। रेस्पोडेण्ट की ओर से राज पैरोकार (नायब तहसीलदार) उपस्थित। राजपैराकार को सुना गया। रेस्पोडेण्ट द्वारा म्याद अधिनियम के प्रार्थना–पत्र पर कोई आपति नहीं की गई।

उभयपक्षों की बहस पर मनन एवं पत्रावली का अवलोकन एवं अध्ययन किया गया। विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पारित आलोच्य आदेश अपास्त किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने से **अपील अपीलांट स्वीकार कर आलोच्य आदेश अपास्त किया जाकर प्रकरण तहसीलदार, जैसलमेर को प्रतिप्रेषित (Remand) कर** निर्देशित किया जाता है कि विवादग्रस्त भूमि के संबंध में पुनः जॉच एवं पक्षकारान् की सुनवाई कर नये सिरे से विधिवत आदेश पारित करें।

उभयपक्ष अपना–अपना व्यय स्वयं वहन करेंगे।

निर्णय आज दिनांक 11.03.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

जिला कलक्टर,
जैसलमेर

जिला कलक्टर
जैसलमेर

न्यायालय जिला कलक्टर जैसलमेर (राज.)